राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0,

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
दूरभाष सं0 0522–2720381, फैक्स : 2720382

पत्रांक: प्र0अ0/स्टोर/2019– 203 दिनांक: 27 अगस्त, 2019

आदेश

प्लास्टिक के प्रयोग को हतोत्साहित किये जाने सम्बन्धी शासन की नीति के दृष्टिगत मण्डी परिषद मुख्यालय तथा किसान मण्डी भवन में स्थापित अन्य विभागीय कार्यालयों (यथा–संभागीय कार्यालय, निर्माण खण्ड एवं विद्युत–यांत्रिक खण्ड) में Single Use Plastic Water Bottle का प्रयोग प्रतिबन्धित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त के कम में स्टोर/व्यवस्था अनुभाग से अपेक्षा है कि बैठकों आदि के लिए पर्याप्त संख्या में स्टील/कापर की बोतलों व गिलास का प्रबन्ध करें तथा सभी कर्मचारी अपनी निजी बोतल ला सकते हैं। विद्युत यांत्रिक एवं अनुरक्षण खण्ड यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक तल पर शुद्ध पेयजल हेतु आर0ओ0 कियाशील रहे।

3. अभियंत्रण एवं स्टोर के प्रभारी अधिकारी आगामी 15 दिवसों तक उक्त व्यवस्था का सतत अनुश्रवण करेंगे। सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होंगे कि उनके अनुभाग में कोई भी कार्मिक Single Use Plastic Water Bottle का प्रयोग न करे।

4. यह आदेश दिनांक 01 सितम्बर, 2019 से प्रभावी होगा। सभी सम्बन्धित उससे पूर्व उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक तैयारी/प्रबन्ध सुनिश्चित कर लेंगे।

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : यथोक्त.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उप निदेशक (प्रशा0/विप0)/प्रभारी अधिकारी, स्टोर/अनुरक्षण/वि0–यां0, मण्डी परिषद।
2. उप निदेशक (प्रशासन/विपणन), मण्डी परिषद, लखनऊ।
3. समस्त अधिकारी, मण्डी परिषद मुख्यालय।
4. उप निदेशक (निर्माण), मण्डी परिषद, लखनऊ।
5. उप निदेशक (निर्माण), मुख्यालय अनुरक्षण, मण्डी परिषद।
6. उप निदेशक (वि0/यां0), मण्डी परिषद, लखनऊ।
7. व्यवस्थाधिकारी, मण्डी परिषद।
8. समस्त अनुभाग अधिकारी/शिविर सहायक, मण्डी परिषद मुख्यालय।

30-8-19

S.O

(कुमार विनीत)
अपर निदेशक (प्रशासन)

28-8-19